***ई–मेल / रजिस्टर्ड डाक द्वारा***

प्रेषक,

निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

श्री आलोक तिवारी,
प्रोपराइटर,
मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स,
द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू,
रायबरेली रोड, लखनऊ–26025
ई–मेल आई0डी0 : krtelko@gmail.com, admin@krtechnosafe.in

संख्याः–4088 एफ / स0प्र0–उ0प्र0 / संस्था / 2023, दिनांक 28-12-,2022

**विषय** : कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम–2(क) के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– शून्य, दिनांक 30–11–2022 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपकी संस्था के श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर एवं श्री पारितोष कुमार सिंह, एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल) को वर्ष 2023 हेतु दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक एवं वर्ष 2024 हेतु दिनांक 01–01–2024 से 31–12–2024 तक की अवधि के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–28, 29, 31 व 21(2) के अन्तर्गत ***"सक्षम व्यक्ति"*** की मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूलरूप में निम्नलिखित शर्त साहित संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं :–

**शर्त :**

*(1) वर्ष 2023 की समाप्ति पर सक्षमता प्रमाण पत्र पर उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ माह दिसम्बर, 2023 में ही उपरोक्त सक्षम व्यक्ति का स्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।*

*(2) वर्ष 2021 व 2022 हेतु जारी मूल सक्षमता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।*

साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2023 व 2024 हेतु जारी निम्न सक्षमता प्रमाण पत्र मूल रूप में वर्ष 2024 की समाप्ति के तत्काल उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संस्था द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–36 के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 कारखाना नियमावली, 1950 के नियम–2क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार धारा–36 हेतु निर्धारित योग्यता A Master's degree in Chemistry or a degree in Chemical Engineering है, जबकि उक्त दोनों आवेदित व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हता बी0टेक0 (मैकेनिकल) है, अतः उक्त दोनों आवेदित व्यक्ति धारा–36 के प्रयोजनार्थ सक्षम व्यक्ति की मान्यता अर्ह नहीं हैं।

**संलग्नक :**

1. सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–28 / संस्था–026(i) / 2023, दिनांक 28–12–2022
2. सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–29 / संस्था–026(ii) / 2023, दिनांक 28–12–2022
3. सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–31 / संस्था–026(iii) / 2023, दिनांक 28–12–2022
4. सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–21(2) / संस्था–026(iv) / 2023, दिनांक 28–12–2022

भवदीय,

**(आर0के0 सिंह)**
निदेशक कारखाना, उ0प्र0

संख्याः– एफ / स0प्र0–उ0प्र0 / संस्था / 2023, दिनांक ,2022

प्रतिलिपि उप / सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,............................................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(आर0के0 सिंह)**
निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

वर्ष–2023

# कार्यालय– निदेशक कारखाना, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–28 / संस्था–026(i) / 2023

## सक्षमता प्रमाण–पत्र

{धारा–2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम–2–क}

मैं, **आर0के0 सिंह, निदेशक कारखाना, उ0प्र0** कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2(ग क) और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्द्वारा ***धारा–28*** और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन **उत्तर प्रदेश** में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे ***लिफ्टों और उत्तोलकों और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपष्कर जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए –***

संस्था **"मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ–26025"** के

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | श्री आलोक कुमार तिवारी, | डायरेक्टर | धारा–28 |
| 2– | श्री पारितोष कुमार सिंह, | एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल) | धारा–28 |

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ ***"सक्षम व्यक्ति"*** के रूप में मान्यता देता हूँ।

**यह प्रमाण पत्र दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक एवं दिनांक 01–01–2024 से 31–12–2024 तक विधिमान्य है।**

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है –

(एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।

(दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।

(तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।

(चार) **"सक्षम व्यक्ति"** के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा / और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।

(पाँच) **"सक्षम व्यक्ति"** द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–28 / संस्था–026(i) / 2023 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।

(छः) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर अथवा श्री पारितोष कुमार सिंह, एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल), मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा श्री पारितोष कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था के डायरेक्टर श्री आलोक कुमार तिवारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(सात) सक्षम व्यक्ति / संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय–समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।

(आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता / प्रबन्धक / सेफ्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।

(दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–28 / संस्था–026(i) / 2021, दिनांक 29–12–2020, जो कि दिनांक 31–12–2022 तक की अवधि के लिए जारी किया गया था, अब लागू नहीं होगा।

स्थान : कानपुर।
दिनांक : 28–12–2022

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर
शासकीय मुद्रा

आर० के० सिंह
निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

आर0 के0 सिंह
निदेशक कारखाना, उ0प्र0

वर्ष–2023

# कार्यालय– निदेशक कारखाना, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0/धारा–29/संस्था–026(ii)/2023

## सक्षमता प्रमाण–पत्र

{धारा–2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम–2–क}

मैं, **आर0के0 सिंह, निदेशक कारखाना, उ0प्र0** कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2(ग क) और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्द्वारा ***धारा–29*** और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन **उत्तर प्रदेश** में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे ***लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग टैकल्स और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपष्कर जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए –***

संस्था **"मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ–26025"** के

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1–** | **श्री आलोक कुमार तिवारी,** | **डायरेक्टर** | **धारा–29** |
| **2–** | **श्री पारितोष कुमार सिंह,** | **एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल)** | **धारा–29** |

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ ***"सक्षम व्यक्ति"*** के रूप में मान्यता देता हूँ।

**यह प्रमाण पत्र दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक एवं दिनांक 01–01–2024 से 31–12–2024 तक विधिमान्य है।**

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है –

(एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।

(दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।

(तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।

(चार) **"सक्षम व्यक्ति"** के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।

(पाँच) **"सक्षम व्यक्ति"** द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0/धारा–29/संस्था–026(ii)/2023 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।

(छ:) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर अथवा श्री पारितोष कुमार सिंह, एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल), मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा श्री पारितोष कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था के डायरेक्टर श्री आलोक कुमार तिवारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय–समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।

(आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेफ्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।

(दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0/धारा–29/संस्था–026(ii)/2021, दिनांक 29–12–2020, जो कि दिनांक 31–12–2022 तक की अवधि के लिए जारी किये गये थे, अब लागू नहीं होंगे।

स्थान : कानपुर।
दिनांक : 28–12–2022

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर
शासकीय मुद्रा

आर0 के0 सिंह
निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

वर्ष–2023

# कार्यालय– निदेशक कारखाना, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–31 / संस्था–026(iii) / 2023

## सक्षमता प्रमाण–पत्र

{धारा–2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम–2–क}

मै, **आर0के0 सिंह, निदेशक कारखाना, उ0प्र0** कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2(ग क) और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्द्वारा ***धारा–31*** और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन **उत्तर प्रदेश** में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे ***प्रेशर संयंत्रों और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपष्कर जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए –***

संस्था **"मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ–26025"** के

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | **श्री आलोक कुमार तिवारी,** | **डायरेक्टर** | **धारा–31** |
| 2– | **श्री पारितोष कुमार सिंह,** | **एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल)** | **धारा–31** |

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ ***"सक्षम व्यक्ति"*** के रूप में मान्यता देता हूँ।

**यह प्रमाण पत्र दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक एवं दिनांक 01–01–2024 से 31–12–2024 तक विधिमान्य है।**

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है –

(एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।

(दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।

(तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।

(चार) **"सक्षम व्यक्ति"** के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।

(पाँच) **"सक्षम व्यक्ति"** द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–31 / संस्था–026(iii) / 2023 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।

(छः) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर अथवा श्री पारितोष कुमार सिंह, एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल), मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा श्री पारितोष कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था के डायरेक्टर श्री आलोक कुमार तिवारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय–समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।

(आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेफ्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।

(दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0 / धारा–31 / संस्था–026(iii) / 2021, दिनांक 29–12–2020, जो कि दिनांक 31–12–2022 तक की अवधि के लिए जारी किये गये थे, अब लागू नहीं होंगे।

स्थान : कानपुर।
दिनांक : 28–12–2022

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर
शासकीय मुद्रा

आर0 के0 सिंह
निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

निदेशक कारखाना, उ0प्र0

वर्ष–2023

# कार्यालय– निदेशक कारखाना, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0/धारा–21(2)/संस्था–026(iv)/2023

## सक्षमता प्रमाण–पत्र

{धारा–2(ग क) के अधीन बनाये गये नियम–2–क}

मैं, **आर0के0 सिंह, निदेशक कारखाना, उ0प्र0** कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2(ग क) और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्द्वारा ***धारा–21(2)*** और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन **उत्तर प्रदेश** में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले **ऐसी *खतरनाक मशीनों और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपष्कर जैसी भी दशा हो, के लिए परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए* –**

संस्था **"मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ–26025"** के

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | श्री आलोक कुमार तिवारी, | डायरेक्टर | धारा–21(2) |
| 2– | श्री पारितोष कुमार सिंह, | एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल) | धारा–21(2) |

को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के प्रयोजनार्थ ***"सक्षम व्यक्ति"*** के रूप में मान्यता देता हूँ।

**यह प्रमाण पत्र दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक एवं दिनांक 01–01–2024 से 31–12–2024 तक विधिमान्य है।**

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है –

(एक) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।

(दो) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किये जायेंगे।

(तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।

(चार) **"सक्षम व्यक्ति"** के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षण, परीक्षा/और निरीक्षण करने के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।

(पाँच) **"सक्षम व्यक्ति"** द्वारा जारी किये गये परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0/धारा–21(2)/संस्था–026(iv)/2023 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।

(छः) परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण का प्रमाण पत्र श्री आलोक कुमार तिवारी, डायरेक्टर अथवा श्री पारितोष कुमार सिंह, एक्जीक्यूटिव (टेक्निकल), मेसर्स के0आर0 टेक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9, ऑफिस स्पेस, ओमैक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा श्री पारितोष कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था के डायरेक्टर श्री आलोक कुमार तिवारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(सात) सक्षम व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरन्तर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय–समय पर बाह्य दक्ष तकनीकी संस्था से कैलीब्रेट किया जायेगा और उसका प्रमाण पत्र कैलीब्रेशन के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगा।

(आठ) सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें कारखानों के नाम, एवं उपकरणों की संख्या की सूचना हो, प्रत्येक छमाही के समाप्त होने के दस दिन के अन्दर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, संभागीय उप निदेशक कारखाना एवं निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (मुख्य कारखाना निरीक्षक) को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(नौ) कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सेफ्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटोग्राफ, जिस पर कारखाने का नाम व तिथि अंकित हो, की प्रति सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न की जाये।

(दस) पूर्व में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र सं0–स0प्र0–उ0प्र0/धारा–21(2)/संस्था–026(iv)/2021, दिनांक 29–12–2020, जो कि दिनांक 31–12–2022 तक की अवधि के लिए जारी किये गये थे, अब लागू नहीं होंगे।

स्थान : कानपुर।
दिनांक : 28–12–2022

मुख्य निरीक्षक के हस्ताक्षर
शासकीय मुद्रा

आर0 के0 सिंह
निदेशक कारखाना, उ0प्र0